



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



A-158

सं.ए-32012/1/2025-एचआरएम-1/648

दिनांक: 21.05.2025

कार्यालय आदेश

विषय: तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, निम्नलिखित सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (ग्रेड वेतन रु. 6600/-) में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

क्रम सं.	नाम	ईआईडी
1	ए रविंदर	AA070571115191199
2	मनोज कुमार गुप्ता	MB050872087091195
3	सीपी जेसेना	CC150574060070200
4	प्रदीप कुमार प्रधान	PK130665055211299
5	एस हेमलता	SC201267109100300

2. तदर्थ पदोन्नति पर अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारियों का तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर होगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि कोई अधिकारी जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में यदि कोई हो, प्राथमिकता दी जाती है, और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति मौजूद नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II के रूप में तदर्थ आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकता है।

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी तथा इससे उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के रूप में उपरोक्त अधिकारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन, मुख्यालय को भेजी जाए। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए।
7. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति विषय-वस्तु से संबंधित विभिन्न न्यायालयीन मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

(यह के.भ.नि.आ के अनुमोदन से जारी किया गया है)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एचआरएम-I)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि: (क.भ.नि.आ वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, के.न्या.बो., क.भ.नि के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.सला एवं मु.ले.अ/मु.स.अ/अपर के.भ.नि.आ(मुख्यालय) के निजी सचिव/ निदेशक (पीडीनास)।
5. सभी अपर के.भ.नि.आ, मुख्यालय, एवं जोन/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्रीय प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय प्रशा, मुख्यालय / क्षेत्रीय प्रशा (एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दल/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि अधिकारी संघटन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइलें।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय पी.एफ. आयुक्त (एचआरएम-I)